



2026:AHC-LKO:20518-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 206 वर्ष 2026**

अरुण कुमार सिंह तोमर

....

अपीलकर्ता(गण)

बनाम

यू०पी० वन निगम, इंदिरा नगर, लखनऊ, द्वारा प्रबंध निदेशक

एवं अन्य

....

उत्तरदाता(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: अपूर्व तिवारी, विवेक कुमार

उत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता

: ऋषभ त्रिपाठी, लक्ष्मीपत शुक्ला

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय**माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली****माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह**

1. उत्तरदातागण की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ त्रिपाठी ने वकालतनामा दाखिल किया , जिसे अभिलेख पर लिया गया।

2. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए सं० 5080 वर्ष 2018 तथा सिविल प्रकीर्ण पुनर्विलोकन आवेदन सं० 38 वर्ष 2025 में पारित किए गए आदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 27.02.2025 एवं 13.02.2026 के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दाखिल रिट याचिका एवं पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त कर दिए गए ।

3. कार्यालय ने यह प्रतिवेदित किया कि रिट याचिका में पारित आदेश की तिथि से 322 दिनों की अवधि से अपील कालबाधित है। अपील दाखिल करने में विलंब के क्षमा के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. यह प्रस्तुत किया गया कि रिट याचिका में दिनांक 27.02.2025 को आदेश पारित होने के पश्चात, जिसमें अपीलकर्ता की ओर से यह निवेदन अभिलिखित किया गया था कि अनुतोष सं० (i) एवं (iii) उत्तरदातागण द्वारा प्रदान कर दी गई हैं और इस प्रकार अपीलकर्ता उक्त अनुतोषों पर बल नहीं दे रहा था। उक्त अभिलिखित किए गए तर्क के कारण, *अन्य बातों के साथ-साथ*, इस तर्क के साथ पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की गई कि अधिवक्ता का उक्त कथन अपीलकर्ता से किसी विशिष्ट निर्देश के बिना था और यह कि अपीलकर्ता उक्त प्रार्थनाओं पर बल दे रहा था।

5. यद्यपि एक विस्तृत आदेश द्वारा पुनर्विलोकन याचिका पर सूचना जारी की गयी थी, वह अंततः दिनांक 13.02.2026 को निरस्त कर दी गई।

6. तत्पश्चात बिना किसी और विलंब के, वर्तमान विशेष अपील दिनांक 16.03.2026 को दाखिल की गई और चूँकि विलंब पुनर्विलोकन याचिका के लंबित रहने के कारण हुआ, जो कि विधिवत् समय के भीतर दाखिल की गई थी, अतः अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा किया जा सकता है।

7. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन दाखिल आवेदन का उत्तरदातागण के अधिवक्ता द्वारा गंभीर रूप से विरोध नहीं किया गया ।

8. प्रस्तुत निवेदनों के आलोक में, जिसमें विलंब मुख्यतः पुनर्विलोकन याचिका के लंबित रहने के कारण हुआ, जिसमें अधिवक्ता द्वारा अनुतोषों को वापस लेने संबंधी किए गए निवेदन का अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवाद करने का प्रयास किया गया था और पुनर्विलोकन याचिका के निस्तारण/निरस्तीकरण के उपरांत, वर्तमान विशेष अपील दाखिल की गई है, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दाखिल करने में हुए विलंब का संतोषजनक रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. फलस्वरूप, विलंब क्षमा आवेदन स्वीकृत किया जाता है। अपील दाखिल करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है।

10. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.12.2017 को उत्तरदातागण द्वारा पारित उस आदेश से व्यथित होकर रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिसके द्वारा दिनांक 14.04.2012 से प्रभावी उसके वेतन में समानीकरण प्रदान करने वाला आदेश वापस ले लिया गया था। आगे, दिनांक 28.12.2017 के परिणामस्वरूप वसूली आदेश को निरस्त करने तथा दिसंबर, 2017 माह का वेतन तथा उसके समस्त सेवानिवृत्ति देयों को जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

11. अपीलकर्ता को प्रारम्भ में वर्ष 1983 में सहायक अभिलेखन पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्ष 2000 में उसे विक्रय अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 22.08.2003 को उसे प्रभागीय विक्रय प्रबंधक ('डीएसएम') के रूप में पदोन्नत किया गया। अपीलकर्ता ने, डीएसएम के रूप में सेवा करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर समानीकरण का दावा किया कि वह श्री एस०पी० सिन्हा तथा श्री रेड्डी रज्जैया से वरिष्ठ था, परन्तु उसका वेतन उपरोक्त व्यक्तियों से कम था, उक्त दावे के आधार पर, दिनांक 27.02.2013 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ता का वेतन उसके कनिष्ठ श्री एस०पी० सिन्हा के समकक्ष, रुपये 8700/- के पदक्रम वेतन पर बढ़ा दिया गया।

12. अपीलकर्ता की पदोन्नति को कुछ व्यक्तियों द्वारा रिट याचिका सं० 1594 (एस/बी) वर्ष 2003 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 08.01.2016 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 22.08.2003 का अपीलकर्ता का पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिया गया और उत्तरदातागण को उक्त याचिका के याचिकाकर्ताओं तथा अपीलकर्ता की पदोन्नति पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया।

13. तत्पश्चात, दिनांक 30.12.2017 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ता को 01.02.2012 से डीएसएम पद पर पदोन्नत किया गया और अपीलकर्ता 31.12.2018 को अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया।

14. खंडपीठ के दिनांक 08.01.2016 के निर्णय के विरुद्ध, अपीलकर्ता द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका दिनांक 24.07.2018 को निरस्त कर दी गई, परंतु यह निर्देशित किया गया कि उपदान तथा बकाया वेतन, यदि कोई हो, उक्त अवधि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए डीएसएम पद धारण करते हुए डीएसएम को देय राशि के मानक पर, अपीलकर्ता को अदा किए जाएँगे।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तर्क उत्तरदातागण द्वारा दिनांक 27.12.2017 के वेतन समानीकरण आदेश को वापस लेने के आदेश के कारण आदेशित वसूली के इर्द-गिर्द केंद्रित थे। विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई सहमति को **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य बनाम जगदेव सिंह: 2016 (14) एससीसी 267** मामले में प्रतिपादित विधि के साथ मिलाकर पढ़ने पर **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) एवं अन्य : 2015 (4) एससीसी 334** मामले में दिए गए निर्णय का कोई भी अनुप्रयोग नहीं होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि एक बार वर्ष 2003 में याचिकाकर्ता की पदोन्नति निरस्त कर दी गई है, तो दस माह का अवकाश नकदीकरण केवल दिनांक 30.12.2017 के पदोन्नति आदेश के अनुसार 01.02.2012 से प्रभावी रूप से उसके द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर ही दिया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश के आधार पर नहीं, जिसने केवल किए गए भुगतान और उपादान को संरक्षित किया था।

16. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज करना उचित नहीं था, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उपादान और बकाया वेतन डीएसएम को देय राशि के मानक पर दिया जाएगा, तो इसका अनिवार्यतः अर्थ वेतन समानीकरण है, जो अपीलकर्ता को प्रदान किया गया था और ऐसी समानीकरण के आधार पर दिया गया वेतन वापस नहीं लिया जा सकता था और इसलिए, प्रश्नगत आदेश केवल इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

17. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता का प्रकरण **रफीक मसीह** (उपरोक्त) के निर्णय द्वारा आच्छादित है तथा **जगदेव सिंह** (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय लागू नहीं होता, क्योंकि **जगदेव सिंह** (उपरोक्त) के मामले में सहमति वेतन संशोधन के संबंध में विशिष्ट थी, जिसे वापस ले लिया गया था, जबकि वर्तमान प्रकरण में, उत्तरदातागण द्वारा जिस सहमति पर निर्भर किया गया है, वह दिनांक 02.01.2010 की है, जबकि वेतन समानीकरण दिनांक 27.02.2013 को प्रदान की गयी थी, जिससे उक्त सहमति संबंधित नहीं थी और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसलिए माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

18. उत्तरदातागण के अधिवक्ता ने प्रश्नगत आदेश का समर्थन किया। तर्क प्रस्तुत किये कि सहमति यद्यपि सामान्य प्रकृति की थी, वर्तमान परिस्थितियों पर भी लागू होगी और इस विवाद का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **जगदेव सिंह** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर यथोचित रूप से निर्णय किया गया।

19. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल अपने आदेश की तिथि से स्थिति को संरक्षित किया था और दिनांक 24.07.2018 को वेतन समानीकरण पहले ही वापस ले ली गयी थी और इसलिए इस संबंध में उठाये गये तर्कों में कोई सार नहीं है।

20. हमने प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

21. निर्विवाद तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को वर्ष 2003 में पदोन्नत किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ निरस्त कर दिया गया, जिस याचिका का निस्तारण वर्ष 2016 में किया गया। पदोन्नति अंततः अपीलकर्ता को दिनांक 30.12.2017 के आदेश द्वारा 01.02.2012 से प्रदान की गई। तथापि, अपीलकर्ता के पदोन्नति आदेश के निरस्तीकरण से पूर्व की अवधि के दौरान, उसे दिनांक 27.02.2013 के आदेश द्वारा 14.04.2012 से प्रभावी वेतन समानीकरण प्रदान की गयी थी। पदोन्नति आदेश के निरस्तीकरण से स्वतंत्र रूप से, उक्त वेतन समानीकरण दिनांक 27.12.2017 के आदेश द्वारा वापस ले ली गयी तथा ऐसे वापस लिए जाने के कारण वसूली का आदेश दिया गया।

22. अपीलकर्ता द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका दिनांक 24.07.2018 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार उल्लेख है:

“हम उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। विशेष अनुमति याचिका निरस्त की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तथापि, इस स्वीकृत तथ्य के दृष्टिगत कि याचिकाकर्ता ने 22/08/2003 से 28/12/2017 तक प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के पद पर कार्य किया है, हम यह उचित समझते हैं कि उत्तरदाता को यह निर्देश दिया जाए कि उपादान तथा बकाया वेतन, यदि कोई हो, उक्त अवधि के लिए प्रभागीय विक्रय प्रबंधक को देय राशि के मानक पर, उक्त पद धारण करते हुए, प्रभागीय विक्रय प्रबंधक को जो देय होता, उसी के अनुसार अदा किए जाएँ।

लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हों, निस्तारित माने जाएँगे।”

23. आदेश का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने 22.08.2003 से 28.12.2017 तक डीएसएम के पद पर कार्य किया था, उत्तरदाता को यह निर्देश दिया कि उपदान तथा बकाया वेतन, यदि कोई हो, उक्त अवधि के लिए प्रभागीय विक्रय प्रबंधक को देय राशि के मानक पर, उक्त पद धारण करते हुए, प्रभागीय विक्रय प्रबंधक को जो देय होता, उसी के अनुसार अदा किए जाएँ।

24. यह स्पष्ट है कि वेतन समानीकरण को वापस लेने संबंधी दिनांक 27.12.2017 का आदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.07.2018 के आदेश से पूर्व पारित किया गया था और इसलिए, अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि उक्त निर्देश का अर्थ यह होगा कि अपीलकर्ता वेतन समानीकरण का हकदार होगा, क्योंकि इस तथ्य के अतिरिक्त कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने की तिथि पर, उक्त आदेश अस्तित्व में नहीं था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल डीएसएम के पद के लिए वेतन तथा उपदान) को संरक्षित किया था, जिस पद पर अपीलकर्ता को, पूर्व आदेश के निरस्तीकरण के बावजूद, 01.02.2012 से प्रभावी अन्यथा भी पदोन्नति प्राप्त हुई थी।

25. उक्त के दृष्टिगत, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर आधारित दावा प्रथमदृष्टया कोई सार नहीं रखता है।

26. यद्यपि अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने 27.12.2017 के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए तर्क पेश करने का प्रयास किया, तथापि अंततः उन्होंने अपने तर्कों को **रफ़ीक़ मसीह** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय की प्रयोज्यता और **जगदेव सिंह** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के बीच अंतर स्पष्ट करने तक ही सीमित रखा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

27. **रफ़ीक़ मसीह** (उपरोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय दिया कि यद्यपि कठिनाई की उन सभी स्थितियों की परिकल्पना करना संभव नहीं है जहाँ नियोक्ता द्वारा गलती से भुगतान कर दिया गया हो, तथापि निम्नलिखित स्थितियों में, नियोक्ता द्वारा वसूली करना कानूनन अनुमेय नहीं होगा:

- (i) तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह ग तथा समूह घ सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
- (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, अथवा उन कर्मचारियों से जो वसूली के आदेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वसूली।
- (iii) उन कर्मचारियों से वसूली, जिनके संबंध में वसूली का आदेश जारी किए जाने से पूर्व पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिक भुगतान किया गया हो।
- (iv) उन मामलों में वसूली, जहाँ किसी कर्मचारी से अनुचित रूप से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन कराया गया हो और उसे उसी के अनुरूप भुगतान किया गया हो, यद्यपि उसे विधिसम्मत रूप से निम्न पद के विरुद्ध कार्य करने के लिए अपेक्षित था।
- (v) किसी अन्य मामले में, जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कर्मचारी से की जाने वाली वसूली, यदि की जाती है, तो वह इतनी अन्यायपूर्ण, कठोर या मनमानी होगी कि वह वसूली करने के नियोक्ता के अधिकार के समतामूलक संतुलन पर अत्यधिक भारी पड़ेगी।

28. यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता का प्रकरण उपबंध (ii) एवं (iii) द्वारा शासित होगा, जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, अथवा उन कर्मचारियों से जो वसूली के आदेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वसूली तथा उन कर्मचारियों से वसूली, जिनके संबंध में वसूली का आदेश जारी किए जाने से पूर्व पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिक भुगतान किया गया हो, अनुमन्य नहीं होगी।

29. वर्तमान प्रकरण में, दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं, जहाँ वसूली के लिए आदेश दिनांक 28.12.2017 को पारित किया गया था और अपीलकर्ता 31.12.2018 को सेवानिवृत्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हुआ तथा उसे 14.04.2012 से प्रभावी 27.12.2017 तक, जब आदेश वापस लिया गया, समानीकरण के अनुसार वेतन का भुगतान किया गया, अर्थात् पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए।

30. माननीय एकल न्यायाधीश ने **जगदेव सिंह** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय, तथा साथ ही अपीलकर्ता द्वारा दी गयी सहमति पर भरोसा किया। दिनांक 02.01.2010 की सहमति इस प्रकार है:

"सहमति पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता हूँ कि यदि मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक 2.1.2010

हस्ताक्षर

स्थान लखीमपुर

नाम: ए.के. सिंह तोमर

पद नाम: प्रभागीय विक्रय प्रबंधक"

31. उपरोक्त सहमति को देखने से यह पता चलता है कि इसे 02.01.2010 को वेतन निर्धारण में किसी भी गलती और किसी भी विसंगति के कारण किए गए अतिरिक्त भुगतान के संबंध में दिया गया था, जबकि वेतन समानीकरण का वर्तमान आदेश 27.02.2013 को पारित किया गया था।

32. कथित सहमति वर्तमान आदेश से संबंधित नहीं हो सकती और न ही है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता के वेतन का समानीकरण किया गया था। उक्त सहमति वेतन निर्धारण में त्रुटि एवं विसंगति से संबंधित थी और उक्त सहमति को संपूर्ण सेवा अवधि के लिए सामान्य सहमति के रूप में नहीं लिया जा सकता, जिससे **रफीक मसीह** (उपरोक्त) के मामले के निर्णय के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके।

33. जहाँ तक **जगदेव सिंह** (उपरोक्त) के मामले के निर्णय का संबंध है, जिस पर उत्तरदाता के अधिवक्ता एवं विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अत्यधिक निर्भर किया गया है, उक्त निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तरों का उद्धरण करना उपयुक्त होगा, जिससे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह प्रकट होता है कि संपूर्ण निर्णय, **रफ़ीक़ मसीह** (उपरोक्त) के मामले से भेद करते हुए, पुनरक्षित वेतनमान के संबंध में दिए गए विशिष्ट सहमति पर आधारित था। प्रासंगिक प्रस्तर इस प्रकार हैं:

“2. तथ्य संक्षिप्त परिधि में निहित हैं। उत्तरदाता को 16-7-1987 को सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था और राज्य की न्यायिक सेवा में 28-8-1997 को अतिरिक्त सिविल जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। दिनांक 28-9-2001 की अधिसूचना द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा उच्चतर न्यायिक सेवा संशोधित वेतन नियम, 2001 के अंतर्गत रुपये 10000-325-15200 (वरिष्ठ वेतनमान) का वेतनमान अनुमत किया गया था। नियमों के अधीन, प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षित था कि वह एक सहमति प्रस्तुत करे कि जो कोई भी अधिक भुगतान किया गया पाया जाए, उसे भविष्य में देय भुगतानों के विरुद्ध समायोजन द्वारा अथवा अन्यथा, सरकार को वापस किया जाएगा।

3. उत्तरदाता ने एक सहमति प्रस्तुत किया और उसे रुपये 14,300-400-18,000-300 के संशोधित वेतनमान तथा चयन श्रेणी प्रदान की गई। पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुनते समय, उत्तरदाता ने यह वचन दिया कि यदि कोई अधिक भुगतान पश्चात् ज्ञात होता है और उसकी मांग की जाती है, तो वह उसे वापस करेगा। चयन श्रेणी में संशोधित वेतनमान उत्तरदाता को 7-1-2002 को अनुमत किया गया था

....

.....

....

6. उक्त के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों का पुनः 1-1-1996 से प्रभावी होकर पुनरीक्षित किया गया था। संशोधित वेतन नियमों की अधिसूचना के पश्चात् न्यायिक अधिकारियों को किए गए अधिक भुगतानों के समायोजन के लिए एक कार्यवाही की गई थी। 18-2-2004 को उच्च न्यायालय के निबंधक के निर्देशानुसार रुपये 1,22,003 की राशि की वसूली हेतु एक पत्र उत्तरदाता को तामील किया गया था।

7. उत्तरदाता ने अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट कार्यवाही में वसूली की कार्रवाई को चुनौती दी। उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता की इस शिकायत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में सार पाया कि उसके सेवानिवृत्ति से पूर्व वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक भुगतान की उस अवस्था में वसूली नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसकी ओर से कोई कपट या मिथ्याप्रस्तुतीकरण नहीं था।

....

.....

....

11. उपरोक्त प्रतिपादन (ii) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण जैसी स्थिति पर लागू नहीं हो सकता। वर्तमान प्रकरण में, जिस अधिकारी को प्रारंभ में भुगतान किया गया था, उसे स्पष्ट रूप से यह सूचित कर दिया गया था कि जो कोई भी भुगतान अधिक पाया जाएगा, उसे वापस करना आवश्यक होगा। अधिकारी ने संशोधित वेतनमान का विकल्प चुनते समय एक सहमतिप्रस्तुत किया था। वह उस सहमति से आबद्ध है।”

(प्रभाव

वर्धित)

34. उपरोक्त का अवलोकन करने से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि संशोधित वेतन नियम, 2001 के अधीन, प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षित था कि वह एक सहमति प्रस्तुत करे कि जो कोई भी अधिक भुगतान किया गया पाया जाए, उसे भविष्य में देय भुगतानों के विरुद्ध समायोजन द्वारा अथवा अन्यथा सरकार को वापस किया जाएगा और संशोधित वेतनमान का विकल्प चुनते समय अधिकारी ने यह सहमति दिया कि यदि कोई अधिक भुगतान पश्चात् ज्ञात होता है और उसकी मांग की जाती है, तो वह उसे वापस करेगा तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रफ़ीक मसीह** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय को, *उक्त* प्रतिपादन (ii) के संबंध में इस आधार पर पृथक किया कि जिस अधिकारी को प्रारंभ में भुगतान किया गया था, उसे स्पष्ट रूप से यह सूचित कर दिया गया था कि जो कोई भी भुगतान अधिक पाया जाएगा, उसे वापस करना आवश्यक होगा और अधिकारी ने संशोधित वेतनमान का विकल्प चुनते समय एक सहमति प्रस्तुत किया था तथा इसलिए वह उस सहमति से आबद्ध था।

35. **जगदेव सिंह** (उपरोक्त) के मामले में सहमति विशेष रूप से संशोधित वेतनमान से संबंधित थी और वसूली भी संशोधित वेतनमान से ही संबंधित थी, जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ता द्वारा वेतन के समानीकरण के संबंध में कोई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सहमति नहीं दी गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में, **जगदेव सिंह** (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होगा।

36. जहाँ तक वेतन के समानीकरण के आधार पर दस माह की अवधि के लिए अवकाश नकदीकरण के संबंध में अपीलकर्ता के मामले के अस्वीकृति का प्रश्न है, इस संबंध में कोई प्रकरण स्थापित नहीं होता है।

37. फलस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा दाखिल विशेष अपील स्वीकार की जाती है। रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 27.02.2025 का आदेश तथा पुनर्विलोकन आवेदन में पारित दिनांक 13.02.2026 का आदेश निरस्त किए जाते हैं।

38. उत्तरदातागण को दिनांक 27.12.2017 तथा 28.12.2017 के आदेशों के अनुसरण में अपीलकर्ता से किसी भी प्रकार की वसूली करने से प्रतिबंधित किया जाता है। अतिरिक्त रूप से, रिट याचिका में दिनांक 19.02.2018 को पारित आदेश के संदर्भ में, जिसके द्वारा निगम के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया था कि अपीलकर्ता के समस्त देय, 'विवादाधीन राशि को छोड़कर', एक माह की अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएंगे, जो कोई भी राशि 'विवादाधीन होने के कारण उत्तरदातागण द्वारा रोकी गई है', उसे इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अब अपीलकर्ता को जारी किया जाएगा।

39. व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

19 मार्च, 2026

आरके

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।